राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः-एफ 41(82)ग्रावि/नरेगा/स्वीकृति/उदयपुर/2016/105369 जयपुर, दिनांक : 3 FEB 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर
जिला समस्त, राजस्थान

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 50 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यों की स्वीकृति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजनान्तर्गत एवं अन्य योजनाओं के कन्वर्जेन्स से 50 लाख रूपये से अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य स्तर पर सैद्धान्तिक अनुमोदन (In principle approval) हेतु बहुधा बिना परीक्षण एवं निर्धारित मापदण्ड सुनिश्चित किये बिना ही प्रेषित कर दिये जाते हैं। इस कारण राज्य स्तर से सहमति दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता हैं। अतः राज्य स्तर पर सैद्धान्तिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व निम्नानुसार पालना सुनिश्चित की जावें।

1. प्रस्ताव का परीक्षण अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके अन्य सदस्य सम्बन्धित लाईन विभाग का जिले में कार्यरत वरिष्ठतम अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता नरेगा एवं परियोजना अधिकारी लेखा के द्वारा किया जावें।
2. तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ठ 11 (अ) के प्रारूप में प्रस्ताव जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावे।
3. विस्तृत तकमीना तैयार करते समय उपरोक्त समिति द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे।
4. कार्य की आवश्यकता एवं उपयोगिता, भोगौलिक स्थितियों के आधार पर मापदण्डों के आधार पर आवश्यक डिजायन, ड्राईग तैयार की जावें। तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 6.3 की पालना सुनिश्चित की जावें।
5. स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व कार्यकारी ऐजेन्सी के पास पर्याप्त संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
6. शारीरिक श्रम से पूर्ण नही किये जा सकने वाले कार्यों की गुणवत्ता व टिकाउपन को बनाये रखने के लिए मशीनों के उपयोग का पर्याप्त आधार प्रस्ताव के साथ भिजवायें।
7. ऐनिकट/रपट निर्माण आदि के कार्य का प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि नजदीक में इस प्रकार का कोई अन्य कार्य तो नहीं करवाया गया हैं।
8. प्रस्ताव के साथ लाभावान्वित होने वाले परिवारों की सूची भी संलग्न कर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय

2/2/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपिः-

1. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस